>

Title :Regarding issue of Notification to extend the benefits of reservation to Scheduled Tribes in the newly formed districts of Uttar Pradesh.

**श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** सभापति महोदय, आरक्षित वर्गों के विकास का रास्ता जाति प्रमाण पत्र से शुरू होता है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ अधिनियम 2002 की अधिसूचना दिनांक 7.1.2003 को जारी की गई। सात वर्ष पहले अधिसूचना जारी की गई जाति प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद से कई प्रांतों में नये जनपद सृजित हुए हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बस्ती से काटकर संत कबीर नगर, देवरिया से काटकर कुशीनगर और वाराणसी में चंदौली से संत रविदास नगर बना। सात बरस हो गए। जब पुराना जनपद था तो गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौण को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी होता था। मगर उसी जनपद से काटकर जब दूसरा जनपद बन गया तो इन अनुसूचित जातियों के लिए प्रदेश सरकार ने भी बार-बार लिखा है लेकिन यहाँ से अधिसूचना जारी नहीं हो रही है कि वे जनपद जब अलग हो गए तो वहाँ जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको भी प्रमाण पत्र जारी हो। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन जातियों के विकास के लिए इनको अनूसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी हो। यह भारत सरकार का मांमला है। भारत सरकार ने 7.1.2003 में जो अधिसूचना जारी की है। सरकार वर्तमान में भी अधिसूचना जारी करे कि इन जनपदों में भी उपरोक्त अनुसूचित जनजातियों का प्रमाण पत्र जारी हो।